स्पीड पोस्ट
एवं ई–मेल

सत्यमेव जयते

SPEED POST

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. DU/1/2018/STGBH/SEOTH/RU-III दिनांक: 26–11–2019

<u>सिटिंग नोटिस</u>

विषयः राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पदना के पत्रांक 161, दिंनाक 09–01–2018 के आलोक में पुनः संविदा पर नियुक्ति नहीं करने के संबंध में श्री धर्मेद्र उरांव, पिता श्री सुन्दर लाल उरांव, ग्राम दमका, पो. मोहनकुंडा, थाना सदर. जिला – पूर्णिया, बिहार – 854326 का अभ्यावेदन।

संदर्भः आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 12.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक <u>11.12.2019 को 01.30 बजे</u> सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8764-65
26/11/19

(आर.के.दुबे)
सहायक निदेशक

जारी किया
ISSUED

सेवा में,

निदेशक,
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्,
शिक्षा भवन, राष्ट्र भाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्र नगर,
पटना – 800004

<u>प्रतिलिपि प्रषितः</u>

श्री धर्मेद्र उरांव, पिता श्री सुन्दर लाल उरांव,
ग्राम दमका, पो. मोहनकुंडा, थाना सदर. जिला – पूर्णिया, बिहार – 854326